दिनांक –03.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रार्थनापत्र 5 ख अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर सुना।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 5 ख

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से 5 ख प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2023 को धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. के विचारण हेतु तलब किया गया है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को उक्त तलबी आदेश के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था और न ही उस पर पूर्व में सम्मन की ही तामील हुई है। प्रार्थी पर दिनांक 13.10.2023 के आदेश अनुसार भेजे गये समन पुलिस द्वारा दिनांक 28.01.2024 को तामील कराये गये तब वह दिनांक 29.01.2024 को न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से नकल हेतु प्रार्थनापत्र दिया, जो दिनांक 30.01.2024 को प्राप्त हुई। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने की याचना की गयी।

सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है। मुंसरिम आख्यानुसार निगरानी 79 दिन की देरी से प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/निगरानीकर्ता का स्पष्ट कथन है कि उसे आदेश दिनांक 22.08.2023 की जानकारी नहीं थी तथा समन की तामील दिनांक 28.01.2024 को होने के पश्चात् ही उसे उक्त आदेश का ज्ञान हुआ। पत्रावली में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व से थी अथवा उसने जानबूझकर निगरानी योजित करने में विलम्ब किया।

विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं bona fide हो तथा उसमें कोई दुर्भावना या लापरवाही परिलक्षित न हो, तो न्यायहित में विलम्ब को उदारतापूर्वक क्षमा किया जाना चाहिए ताकि वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में यह दर्शित नहीं होता कि विलम्ब किसी जानबूझकर की गयी लापरवाही, उपेक्षा अथवा न्यायिक प्रक्रिया को विलम्बित करने के उद्देश्य से किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रार्थी द्वारा विलम्ब के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत होता है तथा विलम्ब जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण नहीं है। अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित है। प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 5 ख अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। यह दाण्डिक निगरानी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु सत्र न्यायालय को भेजी जाय। पक्षकार दिनांक 30.06.2026 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित हों ।

(डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID No– UP6191